केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड

परिवार परामर्श केंद्र योजना के कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

1) योजना का नाम : परिवार परामर्श केंद्र

2) लक्ष्य समूह: यह योजना उन महिलाओं पर केंद्रित है जो अत्याचार, पारिवारिक विवाद और सामाजिक बहिष्कार इत्यादि की शिकार हैं और यह देशभर में स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से चलाई जाती हैं। परिवार परामर्श केंद्र संकट के समय आवश्यक कदम उठाकर हस्तक्षेप करते हैं और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में सदमे से उबरने के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ व्यावसायिक परामर्श, रेफरल और पुनर्वास सेवाएं भी प्रदान करते हैं। परिवार परामर्श केंद्र स्थानीय प्रशासन, पुलिस,न्यायालय, नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रकोष्ठों, चिकित्सा एवं मनश्चिकित्सा संस्थाओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, अल्पावास गृहों आदि के सहायोग से कार्य करते हैं।

3. पिछले तीन वर्षों में बंटित कुल राशि नीचे दी गई है :-

(रू.लाख में)

वर्ष	बंटित राशि
2013-14	2232.12
2014-15	1645.22
2015-16	1937.81

4)परिवार परामर्श केंद्र के लाभार्थियों/बजट के लिए जारी की गई औसत राशि

क्र.सं.	व्यय की मद	बजट
1.	दो परामर्शदाताओं का मानदेय @रू.10,000/- प्रतिमाह प्रति परामर्शदाता	रू.2,40,000/-

2.	(क) किराये पर व्यय@3000/- प्रतिमाह (ख) आकस्मिक व्यय@रू.44,000/-प्रति वर्ष	रू.80,000/-
	कुल	3,20,000/-

'टिप्पणी- केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा 90 प्रतिशत अंशदान अर्थात 2,88,000/- प्रतिवर्ष। स्वैच्छिक संगठन द्वारा 10 प्रतिशत मैचिंग अंशदान अर्थात रू.32000/-प्रति वर्ष ।

5) विभिन्न चरणों पर योजना/परियोजना की समय सीमा (लिया गया समय)

परिवार परामर्श केंद्र एक निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है और संतोषजनक कार्य निष्पादन तथा पिछले वर्ष के लेखा विवरण के निपटान को सुनिश्चित करने के बाद वार्षिक आधार पर चलाई जाती है।

6) पूर्व मंजूरी स्तर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वैच्छिक संगठनों द्वारा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अपेक्षित मानदंड/शर्त (चैक एंड बैलेंस लागू) ताकि लक्षित लाभार्थियों/लक्ष्य तक सही से पहुंचे:-

इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होने हेतु संस्थान/संगठन को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए:-

- संगठन को एक उचित अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए या एक पंजीकृत संगठन की नियमित रूप से गठित शाखा होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए मात्र पंजीकृत निकाय से सबंद्धता या केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता पर्याप्त नहीं होगी।
- सभी स्वैच्छिक संगठनों को नीति आयोग पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए और गैर सरकारी संगठनों के पैन तथा पदाधिकारियों के आधार

नंबर एवं पैन नंबर सहित उनका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूआईडी) उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

- कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान के लिए आवेदन करने की तिथि से पहले संस्था को समाज कल्याण कार्य में तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए। उपर्युक्त में छूट दी जा सकती है यदि (1) संस्था किसी पर्वतीय,दूरवर्ती,सीमावर्ती और पिछड़े जनजातीय क्षेत्र में स्थित है (2) संस्था विशेष सेवाएं उपलब्ध कराती है जो उस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। (3) जहां बिल्कुल नई सेवाओं की शुरूआत करनी हो।
- संस्था की अपनी समुचित रूप से गठित एक प्रबंधन समिति होनी चाहिए जिसके पास अपनी स्पष्ट शक्तियां, कर्तव्य और उत्तरदायित्व होना चाहिए और यह लिखित संविधान के रूप में होना चाहिए। प्रबंधन समिति में पर्याप्त संख्या में महिला सदस्यों को भी होना चाहिए।
- प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों से इस आशय का प्रमाण पत्र कि वे एक दूसरे के संबंधी नहीं हैं।
- संस्था के पास स्रोत व्यक्ति, प्रबंधन की कुशलता और योजना को शुरू करने का अनुभव होना चाहिए।
- संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए और आवश्यकतानुसार संस्था के पास उस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त राशि होनी चाहिए जिसके लिए बोर्ड द्वारा सहायता दी गई है। इसके अतिरिक्त इसके अपने संसाधनों से सेवाओं के मौजूदा स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त राशि हो।
- संस्था की सेवाएं पंथ (धर्म), नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव किए बिना भारत के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध रहेंगी।
- निरीक्षण/ दौरे के माध्यम से मंजूरी पश्चात चरण में 'चैक एवं बैलेंस' (sops) प्रयोग ताकि लक्षित लाभ/लक्ष्य समूह तक पहुंच (अनुवीक्षण तंत्र) सुनिश्चित हो सके और लक्ष्य प्राप्त हो जाए।

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन देशभर में राज्य समाज कल्याण बोर्ड में तैनात क्षेत्रीय अधिकारियों एवं ऐच्छिक कार्रवाई

ब्यूरो परामर्शदाताओं के नेटवर्क के रूप में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के पास अपना स्वयं का अनुवीक्षण ढ़ांचा है। क्षेत्रीय अधिकारी अपने संबंधित राज्यों में परिवार परामर्श केंद्र का दौरा करते हैं और कार्यक्रम के बेहतर कार्यान्वयन में परिवार परामर्श केंद्र को नियमित रूप से दिशानिर्देश प्रदान करते हैं और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। राज्य बोर्ड क्षमता निर्माण तथा अभिलेखों के रखरखाव के लिए संगठनों के कार्यकर्ताओं तथा परिवार परामर्श केंद्र के परामर्शदाताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी करते हैं। क्षेत्र अधिकारी एवं ऐच्छिक कार्रवाई ब्यूरो परामर्शदाता का कार्य विकास के क्षेत्र में अंतराल की पहचान करने और परिवार परामर्श केंद्र कार्यक्रम को चलाने के लिए उपयुक्त संगठनों का सुझाव देना भी है।

कार्यक्रम की लेखापरीक्षा वार्षिक आधार पर लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है।

नियमित अनुवीक्षण राज्य समाज कल्याण बोर्ड में तैनात क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा परिवार परामर्श केंद्र का निरीक्षण करके की जाती है। क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर संयुक्त निरीक्षण भी किया जाता है।

समग्र अनुवीक्षण के लिए स्थानीय सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, विधिक सहायता प्राधिकरण, स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस के प्रत्येक प्रतिनिधियों वाले परिवार परामर्श केंद्र की एक उप-समिति गठित की गई है।

8) निरीक्षण/ दौरे के दौरान सतर्कता के दृष्टिकोण से उठाए जाने वाले कदम या लागू एसओपी। शिकायत प्राप्त होने पर अपनाया जाने वाले निवारण तंत्र।

- पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों को राशि का हस्तांतरण इलैक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है।

- यदि निरीक्षण/दौरे के दौरान निधियों का दुरूपयोग पाया जाता है तो स्वैच्छिक संगठन को आगे राशि निर्गत किये जाने से रोक दिया जाता है। तत्पश्चात संगठनों को उनके मत की व्याख्या करने / स्पष्टीकरण देने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया जाता है और बोर्ड की विशिष्ट टिप्पणी प्राप्त की जाती है।
- उनके विचार एवं न्यायसंगत और निष्पक्ष न्याय को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार एवं राज्य बोर्ड के प्रतिनिधियों द्वारा दृष्टिकोण एवं समुक्ति प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक संगठन का साझा निरीक्षण पुन: किया जाता है।
- यदि स्वैच्छिक संगठन का स्पष्टीकरण एवं राज्य बोर्ड की टिप्पणी संतोषप्रद नहीं होती तो संगठन को काली सूची में डालने की प्रक्रिया की जाती है।
- सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है और स्वैच्छिक संगठन को काली सूची में डालने के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सतर्कता प्रकोष्ठ के पास मामले को भेज दिया जाता है।
- स्वैच्छिक संगठन द्वारा अनुदान के वापस कर देने पर काली सूची से बाहर निकालने के लिए प्रक्रिया पुन: की जाती है।
- यदि स्वैच्छिक संगठन राशि वापस नहीं करता तो कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
- यदि स्वैच्छिक संगठन को सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग द्वारा काली सूची में डाला गया है तो स्वैच्छिक संगठन का नाम काली सूची में डाले गए संगठनों की सूची में रखा जाता है।

9) कार्यान्वयन में पेश आने वाली कठिनाइयां

- जिला प्राधिकारियों द्वारा परिवार परामर्श केंद्र परामर्शदाताओं को पहचान पत्र की अनुपलब्धता जिससे परामर्शदाताओं की सुरक्षा की कमी रह जाती है।

- पेशेवर रूप से पात्र परास्नातक (समाज कार्य/मनोविज्ञान) परामर्शदाताओं को कम पारिश्रमिक जिसके कारण उच्च एटरीशन दर का होना।
- विशेषकर पर्वतीय, जनजातीय,दूरवर्ती क्षेत्रों इत्यादि विशेषकर एक विशेष स्थलाकृति वाले उत्तर पूर्वी राज्यों एवं जम्म-कश्मीर में सहायक अवसंरचना जैसे आईसीटी,वाहनों की उपलब्धता की कमी।
- स्थानीय दबाव समूह एवं धार्मिक संगठनों का हस्तक्षेप जो क्षेत्र की स्थानीय संस्कृति को प्रभावित करता है।
- परिवार परामर्श केंद्र के कानूनी प्राधिकार का अभाव जिससे परिवार परामर्श केंद्र परामर्शदाताओं को संबंधित व्यक्ति को समस्या का हल करने के लिए परिवार परामर्श केंद्र के पास बुलाना कठिन बना देता है।